कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax: 0135 2767611**

पत्रांक–2479 / FP/UK/ROAD/ 11278/2015 :देहरादूनःदिनांकः2-5 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा के अंतर्गत में कठपुड़िया–बंगसर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.095 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 11278/2015)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/193/2016/एफ0सी0/2934 दिनॉक 16.03. 2020

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 5004/12–1 (2) दिनांक 06.04.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2841/12–1 (2) दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, **(प्रति संलग्न)** जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। **(संलग्नक–01)**
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त संख्या–2 शर्त सं0 2 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–02)**
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः** क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.19 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ठाना मटेणा सिविल खसरा नं0 99, 100, 1034, 1075, 1087, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1123, 1124, 1141, 1177, 1178, 1179 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि रू 1412801.00 की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है **(संलग्नक नं0 3)**।
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पत्र सं0 3848/ग्यारह–13/2018–19 दिनॉक 03 मार्च 2023 गैर वानिकी भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण कर दिया गया है।

	वन विभाग के स्वामित्व के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। **(संलग्नक–04)**
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.095 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5(क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि रू 1770275.00 की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है **(संलग्नक नं0 3 के अनुसार)**।
	ख) विषेशज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–5(ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है **(संलग्नक–05)** ।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 275 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 275 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। **(संलग्नक–06)**
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से कुल रू 3183076.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न **(संलग्नक–07)** ।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। **(संलग्नक–08)**
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत

	के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	कराया गया है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा। **(संलग्नक–09)**
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। **(संलग्नक–10)**
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिसों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर ओवर पास प्रदान करेगा। **(संलग्नक–11)**
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। **(संलग्नक–12)**
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–13)**
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–14)**
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–15)**
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–16)**
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–17)**
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–18)**
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा

	प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–19)**
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–20)**
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या–21 शर्त सं0 21 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–21)**
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–22)**
23	अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या–23 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। **(संलग्नक–23)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

01/5/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– / FP/UK/ROAD/ 11278/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2841/12–1 (2) दिनांक 17.04.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,